

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या प्र02 वि01 53/2004 - 2040

खाद्य, पटना/ दिनांक - 28.04.17

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक 10082 दिनांक 14.02.2017 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 528 दिनांक 16.01.2017 जिसमें श्री जय प्रकाश सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना को निबंधक राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति संबंधी निर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के आदेश संख्या 475 दिनांक 03.02.2017 को स्थगित करते हुए महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक 14864 दिनांक 02.03.2017 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 3909 दिनांक 30.03.2017 के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, जहानाबाद की सेवा निबंधक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना के पद पर सौंपी गयी है, को निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मो0 सलीम)

सरकार संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र02 वि01 53/2004 2040

खाद्य, पटना/ दिनांक - 28.04.17

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 संलग्न)।

सरकार संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र02 वि01 53/2004 2040

खाद्य, पटना/ दिनांक - 28.04.17

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र02 वि01 53/2004 2040

खाद्य, पटना/ दिनांक - 28.04.17

प्रतिलिपि - अध्यक्ष, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, दारोगा राय पथ, पटना/निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, दारोगा राय पथ, पटना/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, एवं कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई मवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र02 वि01 53/2004 2040

खाद्य, पटना/ दिनांक - 28.04.17

प्रतिलिपि - मा0 मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विभाग स्थित सभी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार संयुक्त सचिव।